2015/00002

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2015

अपीलांट	बनाम्	रेस्पोडेंट्स
अणदूदेवी पत्नि केसराराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी		1.जोगाराम पुत्र देदाराम नाबालिग का वली देदाराम पुत्र सेराराम कौम जाट साकिन कमठाई तहसील सिणधरी 2.उप तहसीलदार,सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 14.12.2010 द्वारा उप तहसीलदार,सिणधरी।

उपस्थितः– 1.अपीलांट उपस्थित,अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी उपस्थित।
2.रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित।
3.रेस्पोडेंट सं. 02 तहसीलदार सिणधरी उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 297/34 रकबा 120 बीघा 07 विस्वा ग्राम कमठाई में आयी हुई थी। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार,सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर उप तहसीलदार सिणधरी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब कीं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिणधरी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट उपस्थित रही। इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 01 एंव इनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 02 तहसीलदार सिणधरी उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 14.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कमठाई में खसरा नम्बर 297/34 रकबा 120 बीघा 07 विस्वा आयी हुई है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट ने अपनी अपील में यह कही नहीं बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवाड़ा में कम दिया गया। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एंव रेस्पोडेंट के अंगुष्ठ निशान है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का कमठाई ने पहचान दी है। उप तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2010 पक्षकारों की आपसी सहमति पर आधारित है। आपसी सहमति से किये गये विभाजन के बाद अपीलांट सहमति से इंकार नहीं कर सकते। अतः सहमति के आधार पर उप तहसीलदार सिणधरी ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2010 यथावत कायम रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प सिणधरी में आज दिनांक 24.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर